प्रेषक,

पार्थ सारथी सेन शर्मा,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक, स्कूल शिक्षा,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

बेसिक शिक्षा अनुभाग-5 लखनऊः दिनांक 21 जुलाई, 2026

विषयः शैक्षिक सत्र 2026-27 में बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन संचालित विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक एवं शिक्षिका के अन्तर्जनपदीय स्थानान्तरण के संबंध में।

महोदया,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश दिनांक 04 जून, 2026 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त शासनादेश 04 जून, 2026 के प्रस्तर-3(4) में निम्नवत प्राविधान किये गये:-

*"**(4)** यदि पति/पत्नी दोनों बेसिक शिक्षा परिषदीय विद्यालयों में शिक्षक हैं और उनमें से किसी के द्वारा आवेदन किया जाता है तो जहां पर शिक्षक-छात्र अनुपात न्यून होगा, उस जनपद में उन दोनों में से किसी एक का स्थानान्तरण किया जा सकेगा।"*

2- तत्क्रम में शासनादेश दिनांक 22 जून, 2026 द्वारा उपर्युक्त प्राविधान के संबंध में पुन: यह स्पष्ट किया गया कि पति और पत्नी यदि दोनों बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों में शिक्षक हैं तो, पति एवं पत्नी में से जिसके द्वारा स्थानान्तरण हेतु आवेदन प्रपत्र भर कर दिया जायेगा, केवल उसी के स्थानान्तरण संबंधी अनुरोध पर विचार किया जायेगा। आवदेन न करने वाले पति / पत्नी का स्थानान्तरण नहीं किया जायेगा।

3- इस संबंध में मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद खण्डपीठ लखनऊ में योजित रिट-ए संख्या-6750/2026 ज्योति कुशवाहा व 04 अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य द्वारा सचिव, बेसिक शिक्षा, लखनऊ व 06 अन्य में पारित आदेश दिनांक 20.07.2026 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया शासनादेश दिनांक 22 जून, 2026 से आच्छादित

शिक्षक एवं शिक्षिकाओं को आवेदन करने हेतु दिनांक 05.08.2026 तक का समय प्रदान करते हुए अग्रेतर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराते हुए उक्त विस्तारित समय-सीमा के संबंध में बेसिक शिक्षा विभाग के पोर्टल पर प्रकाशित कराते हुए समस्त जनपदों के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों के माध्यम से अध्यापकों को सूचित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

Digitally signed by
PARTHA SARTHI SENSHARMA
Date: 21-07-2026 18:38:53

(पार्थ सारथी सेन शर्मा)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. शिक्षा निदेशक (बेसिक), उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
2. सचिव, उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद, प्रयागराज को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उपर्युक्तानुसार कार्यवाही समयान्तर्गत सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।
3. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
ह0/-
(अवधेश कुमार तिवारी)
विशेष सचिव।